



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10092020-221642
CG-DL-W-10092020-221642

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, अगस्त 23—अगस्त 29, 2020, शनिवार/भाद्र 1—भाद्र 7, 1942
No. 26] NEW DELHI, AUGUST 23—AUGUST 29, 2020, SATURDAY/BHADRA 1—BHADRA 7, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन) और सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन) और सहायक अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रारंभिक गठन.**—इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन), सहायक अनुभाग अधिकारी के पदधारकों को नियमित आधार पर धारित करने वाले अधिकारी को इन नियमों के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित अनुरूप पद पर नियुक्त माना जाएगा और उक्त नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उक्त पद पर उनके द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवाओं को उनके परिवीक्षा की अवधि, ज्येष्ठता को तय करने तथा प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा को विनिश्चयक करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं,

तो केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूत-पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन)	03 *(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, रु. 47600-151100

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	
(11)	
<p>प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7, रु. 44900-142400 में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिसने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार/ सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन) की प्रोन्नति के लिए आयोजित केन्द्रीय सचिवालय सेवा स्तर 'बी' पाठ्यक्रम के लिए पांच सप्ताहों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण. जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि, उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी, जो:</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) मैट्रिक्स के स्तर 7, रु. 44900-142400 में या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर 02 वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स या इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार या भौतिकी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री।</p> <p>(ii) कम्प्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट, स्लाइड जनरेशन आदि की प्रवीणता के साथ सामान्य प्रशासन/भंडार/सरकारी खरीद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) : (1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष; (2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य; (3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य – सदस्य।	पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने के लिए आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सहायक अनुभाग अधिकारी	08*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवासमूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, रु. 44900-142400 .

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति:--</p> <p>वेतन मैट्रिक्स स्तर 6, रु. 35400-112400 में ऐसे सहायक, जिसने उस श्रेणी में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार/ सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारी की प्रोन्नति के लिए आयोजित केन्द्रीय सचिवालय सेवा स्तर 'ए' पाठ्यक्रम हेतु चार सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण. जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि, उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी, जो:</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, रु. 35400-112400 में या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या भौतिकी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री।</p> <p>(ii) कम्प्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट, स्लाइड जनरेशन आदि की प्रवीणता के साथ सामान्य प्रशासन/भंडार/सरकारी खरीद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p>

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	— अध्यक्ष;
(2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	— सदस्य;
(3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य	— सदस्य।

[सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख और ग)/2017-प्र. II /पुआ. II]

चंदन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS)**

New Delhi, the 20th August, 2020

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method recruitment to the post of Joint Assistant Director (Administration) and Assistant Section Officer in the Directorate of Coordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Coordination Police Wireless Joint Assistant Director (Administration) and Assistant Section Officer Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial constitution .—The incumbents holding the post of Joint Assistant Director (Administration), Assistant Section Officer in the Directorate of Coordination Police Wireless on regular basis on the date of the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules to the corresponding post mentioned in the Schedule and the services rendered by them in the said post on regular basis before the commencement of said rules shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority and qualifying service for promotion, confirmation and pension.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix .—The number of the said post(s), their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc. .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the Pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Joint Assistant Director (Administration)	03* (2020) * subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Level 8 in the pay matrix Rs.47600-151100.

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection post	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:-

Assistant Section Officer in Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400 with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed five weeks training programme of Joint Assistant Director (Administration) Promotional Course conducted by Directorate of Coordination Police Wireless /The Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi Central Secretariat Services Level B course.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully complete probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.

Deputation:- Officials of the Central Government or State Government or Union territories.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with 02 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 or equivalent in the parent cadre or department;

AND

(b) possessing the following qualifications and experience:

(i) Bachelor Degree in science with Electronics or Electronics and Communication or Physics as one of the subject from a recognised University or Institute.

(ii) Three years experience of general administration/Store/Procurement with computer proficiency in word processing, spread sheet, slide generation etc.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, , Ministry of Home Affairs – Member.	Consultation is necessary for filling up the post by deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Section Officer	08*(2020) * subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which by deputation

(11)
Promotion:- Assistant in the Level-6 Rs. 35400-112400 in the pay matrix with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed four weeks training programme of Assistant Section Officer Promotional Course conducted by Directorate of Coordination Police Wireless/ The Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi Central Secretariat Services Level A course. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officials of the Central Government or State Government or Union territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400 or equivalent in the parent cadre or department; <u>AND</u> (b) possessing the following qualifications and experience: (i) Bachelor Degree in Science in Electronics or Electronics and Communication or Physics as one of the subject from a recognised University or Institute. (ii) two years experience of General Administration /Store/Procurement with computer proficiency in word processing, spread sheet, slide generation etc. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

12	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post.

[No.A.11016/1/RR(B&C)/2017-Ad.II/PM.II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग III [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम, 1962 तथा समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग I और वर्ग II पद भर्ती नियम, 1966, जहाँ तक उनका संबंध तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक (भंडार) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भंडार) पद से है, का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, सहायक, भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूत-पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक	21* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, रु.35400-112400

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक अर्हताएं:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या भौतिकी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री। वांछनीय अर्हताएं:- प्रशासन या संस्थापन कार्य में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन:- केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी, जो :- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, रु. 29,200-92,300 में या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद छह वर्ष की सेवा की हो;

और

(ख) स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं रखते हों।

वांछनीय:-

(i) प्रशासन या स्थापनकार्य में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेसन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति:- (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।
(1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	- अध्यक्ष;
(2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	- सदस्य;
(3). गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य	- सदस्य।

[सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख एवं ग)/2017-प्र.II /पीएम.II]

चंदन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 2020

G.S.R. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Class III Posts [Directorate of Coordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962 and Directorate of Coordination (Police Wireless) Recruitment to Class I and Class II Posts Recruitment Rules, 1966, in so far as they relate to the post of Technical Assistant, Technical Assistant (Store) and Senior Technical Assistant (Store) except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules relating to recruitment to the method of recruitment to the post of Assistant in the Directorate of Coordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Coordination Police Wireless, Assistant, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the Pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant	21* (2020) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400

Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	30 years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) Note: The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission	Essential qualification:- Bachelor Degree in Science with Electronics or Electronics and Communication or Physics as one of the subjects from a recognised University or Institute. Desirable qualification : Two years experience in administration or establishment work. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority for the reason recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reason recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Two years for direct recruit. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	75% by direct recruitment. 25% by deputation/ absorption

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made
(11)
Deputation /absorption:- Officers of Central /State Government/Union territories. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level 5 in the pay matrix Rs.29,200-92,300 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits under column-(7). Desirable:- (i) Two years experience in administration or establishment work. Note: Only officers of Central Government/State Government/Union territories shall be eligible to be considered for appointment on absorption basis. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee:- (for considering confirmation consisting of) (1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police, Ministry of Home Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post.

[No.A.11016/1/RR(B&C) /2017-Ad.II/PM.II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

**वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)**

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) स्टाफ कार ड्राइवर और सवार हरकारा/स्कूटर ड्राइवर भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I, श्रेणी-II और सामान्य श्रेणी) और सवार हरकारा या स्कूटर चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-